

उपसभापतकी अनुपस्थिति

प्रलिस के लयि:

स्पीकर और डपिटी स्पीकर की स्थिति, संसद के पीठासीन अधिकारियों के लयि प्रावधान ।

मेन्स के लयि:

डपिटी स्पीकर का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

[सर्वोच्च न्यायालय](#) ने एक [जनहति याचिका \(PIL\)](#) पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कवर्ष 2019 से 17वीं (वर्तमान) [लोकसभा के लयि उपाध्यक्ष](#) का चुनाव नहीं करना "[संवधान की मूल भावना के खिलाफ](#)" है ।

- राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित पाँच राज्यों की वधानसभाओं में भी यह पद खाली पड़ा है ।

संवधानिक प्रावधान:

- [अनुच्छेद 93](#) कहता है क [लोकसभा](#) पद रकित होते ही [अध्यक्ष](#) और [उपाध्यक्ष](#) के रूप में सेवा के लयि दो सदस्यों को नयिकृत करेगी । हालाँकयिह समय-सीमा नरिदषिट नहीं करता है ।
- [अनुच्छेद 178](#) में कसी राज्य की वधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लयि संबंधित स्थिति शामिल है ।

वषिय पर वभिन्न दृष्टिकोण:

- वशेषज्ञ:**
 - वशेषज्ञ बताते हैं क [अनुच्छेद 93](#) और [178](#) दोनों में "होगा" (Shall) शब्द का उपयोग कयिा गया है, यह दर्शाता है क संवधान के तहत [स्पीकर और डपिटी स्पीकर का चुनाव अनविर्य है](#) ।
- संघ सरकार:**
 - सरकार का तर्क है क डपिटी स्पीकर के लयि "[तत्काल आवश्यकता](#)" नहीं है क्योकसदन में सामान्य रूप से "वधियक पारति कयि जा रहे हैं और चर्चा हो रही है" ।
 - इसके अलावा [वभिन्न दलों से चुने गए नौ सदस्यों का एक पैनल है](#) जो सभापतको सदन चलाने में सहायता करने के लयि अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है ।

क्या न्यायापालकिा मामले में हस्तक्षेप कर सकती है?

- [अनुच्छेद 122](#) के अनुसार, "संसद में कसी भी कार्यवाही की वैधता प्रक्रयिा में कथति अनयिमतिता के आधार पर उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कयिा जा सकता ।"
- [न्यायालय आमतौर पर संसद के प्रक्रयिात्मक आचरण में हस्तक्षेप नहीं करता है](#) । हालाँकवशेषज्ञों का तर्क है क न्यायालय के पास कम-से-कम यह जाँच करने का अधिकार है क डपिटी स्पीकर के पद के लयि कोई चुनाव क्यों नहीं हुआ है क्योक संवधान में "जतिनी जल्दी हो सके" चुनाव की परकिल्पना की गई है ।

उपाध्यक्ष के संबंध में प्रावधान:

- नरिवाचन:**
 - लोकसभा में [उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा की प्रक्रयिा तथा कार्य-संचालन नयिओं के नयिम 8](#) द्वारा शासति होता है ।

- उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अध्यक्ष के चुनाव के ठीक बाद अपने सदस्यों में से किया जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है।
- **निर्धारित समय-सीमा:**
 - उपाध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर दूसरे सत्र में होता है तथा सामान्यतः वास्तविक एवं अपरिहार्य बाधाओं के कारण इसमें और देरी नहीं होती है।
- **कार्यकाल की अवधि और पदमुक्ति:**
 - अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष भी आमतौर पर **लोकसभा के कार्यकाल (5 वर्ष)** तक अपने पद पर बना रहता है।
 - उपाध्यक्ष नमिनलखिति तीन मामलों में अपना पद पहले खाली कर सकता है:
 - यदि वह **लोकसभा का सदस्य नहीं** रहता है।
 - यदि वह **अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा** दे देता है।
 - यदि उसे **लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा** हटा दिया जाता है। ऐसा प्रस्ताव **उपाध्यक्ष को 14 दिनों की अग्रिम सूचना** देने के बाद ही पेश किया जा सकता है।
- **उपाध्यक्ष की स्थिति:**
 - अनुच्छेद 95 के अनुसार, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का पद रक्ति होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है और सदन की बैठक से अध्यक्ष के अनुपस्थिति रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके स्थान पर कार्य करता है। दोनों ही मामलों में वह अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है।
 - उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता है। वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। नतीजतन यदि उनमें से कोई भी इस्तीफा देना चाहता है, तो उन्हें अपना इस्तीफा सदन को प्रस्तुत करना होगा, जिसका अर्थ है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है।

उपाध्यक्ष की आवश्यकता:

- **निरंतरता बनाए रखना:** जब भी अध्यक्ष अनुपस्थिति होता है या अध्यक्ष का पद रक्ति हो जाता है तो उपाध्यक्ष कार्यालय की निरंतरता बनाए रखता है।
- **सदन का प्रतिनिधित्व:** यदि अध्यक्ष त्यागपत्र दे देता है तो वह अपना त्यागपत्र उपसभापति को सौंप देता है।
 - यदि **उपाध्यक्ष का पद रक्ति होता है** तो महासचिव त्यागपत्र प्राप्त करता है और सदन को इसकी सूचना देता है। **लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों हेतु नियमों के अनुसार राजपत्र और बुलेटिन में इस्तीफा अधिसूचित किया जाता है।**
- **वपिक्ष को मज़बूत करना:** वर्ष 2011 से उपसभापति का पद वपिक्षी दल को देने की परंपरा रही है।
 - हालाँकि **संवेधानिक रूप से उपसभापति वपिक्ष या बहुमत दल से हो सकता है।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2017)

- लोकसभा अथवा राज्य की वधिानसभा के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को निरिवाचति घोषति कयि जाने के लयि कयि गए मतदान का कम-से-कम 50 प्रतिशत वोट पाना अनविार्य है।
- भारत के संवधिान में अधकिथति उपबंधों के अनुसार, लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद वपिक्ष को जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (D)

व्याख्या:

- भारत में लोकसभा और राज्य की वधिानसभाओं के सीधे चुनाव हेतु फरस्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस मतदान पद्धति में एक निरिवाचन क्षेत्र में सबसे अधकि मतों वाले उम्मीदवार (आवश्यक रूप से 50% से अधकि नहीं) को वजिता घोषति कयि जाता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- संवधिान के अनुसार, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं। वे या तो बहुमत दल या वपिक्षी दल से हो सकते हैं। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

अतः वकिल्प (d) सही है।

प्रश्न. लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2012)

1. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता/करती है।
2. यह आवश्यक नहीं कि अपने नरिवाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु अपने नरिवाचन के छह माह के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा।
3. यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

- यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है।
- यदि वह उपाध्यक्ष को लिखित रूप में त्यागपत्र देता है। अतः कथन 3 सही है।
- यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है। ऐसा प्रस्ताव 14 दिनों की अग्रिम सूचना देकर ही पेश किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाता है (जितनी जल्दी हो सके, उसकी पहली बैठक के बाद) अतः कथन 2 सही नहीं है।
- जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, लोकसभा रिक्त को भरने के लिये किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के कार्यकाल के दौरान अपने पद पर बना रहता है। हालाँकि उसे निम्नलिखित तीन मामलों में से किसी एक में अपना पद छोड़ना होगा।

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-missing-deputy-speaker)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-missing-deputy-speaker>

